प्रेस विज्ञप्ति

2/8/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर आंचलिक कार्यालय ने 01/08/2025 को मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंगलोर और मुंबई स्थित 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। इस समूह के मुख्य प्रवर्तक सत्यमूर्ति वासुदेवन हैं। तलाशी अभियान के दौरान, परियोजना निधि के दुरुपयोग और हेराफेरी से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज विभिन्न परिसरों से बरामद और जब्त किए गए।

ईडी ने कर्नाटक के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धोखाधड़ी, छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र के आरोपों में दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की।

पीएमएलए के तहत जाँच से पता चला है कि आरोपी कंपनी और उसके प्रमुख प्रबंधन कर्मियों ने बेंगलुरु के देवनहल्ली तालुका में ओज़ोन अर्बाना नामक अपनी परियोजना के लिए सैकड़ों भोले-भाले ग्राहकों से पैसे लेकर उन्हें वादा किए गए फ्लैट नहीं दिए। ग्राहकों को बहकाकर और परियोजना पूरी होने तक घर खरीदारों द्वारा लिए गए ऋण पर बैंकों को ईएमआई चुकाने का वादा करके उनसे पैसे वसूले गए। कंपनी ने कई खरीदारों को बायबैक योजना, 2एक्स-योजना आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के नाम पर भारी छूट का वादा भी किया। हालाँकि, परियोजना को पूरा करने के लिए ग्राहकों से एकत्रित धन को प्रमोटरों द्वारा अन्य समूह संस्थाओं और परियोजना से जुड़े नहीं व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया। एकीकृत टाउनशिप परियोजना 2018 में खरीदारों को सौंपी जानी थी। हालाँकि, 2024 तक, परियोजना का केवल 49% ही पूरा हुआ। इस प्रकार, कंपनी ने न तो परियोजना सौंपी और न ही खरीदारों को पैसे वापस किए। जाँच के दौरान कुछ फ्लैटों की दोहरी बिक्री के संबंध में साक्ष्य भी एकत्र किए गए और जब्त किए गए।

आगे की जाँच जारी है।